राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.12(37)/वित्त/कर/2021–52 जयपुर, दिनांकः 29.09.2021

"मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना"

1. प्रस्तावना :–

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को कोविड महामारी के फलस्वरूप हुई आर्थिक हानि से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य महामारी के दौरान मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना"** होगा एवं इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

3. योजनान्तर्गत दिये जाने वाले लाभ :–

(i) पर्यटन उद्यमियों को 9% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान :–

- **ब्याज अनुदान** :– यह योजना उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अधिसूचित एवं समय–समय पर यथा संशोधित **"मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना"** की एक उप योजना के रूप में संचालित की जायेगी एवं योजनान्तर्गत **रू. 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष के लिए देते हुये प्रतिवर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जायेगा।**
- **आवेदन की अंतिम तिथि** :– योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक होगी।
- **योजना की अवधि** :– योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2024 (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24) तक की अवधि हेतु देय होगा।
- **अन्य प्रावधान** :– योजनान्तर्गत शेष सभी प्रावधान, नियम, शर्तें एवं आवेदन करने की प्रकिया **"मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना"** के अनुरूप रहेगी।

(ii) होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (SGST) का पुनर्भरण :–

होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (SGST) का पुनर्भरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

अवधि	देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (SGST) के पुनर्भरण का प्रतिशत
01 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	50%
01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक	75%

(iii) होटल/क्लब बार अनुज्ञाधारियों द्वारा अतिरिक्त बार काउटंर की स्वीकृति हेतु देय 10% की अतिरिक्त राशि की माफी :–

होटल/क्लब बार अनुज्ञाधारियों द्वारा अतिरिक्त बार काउटंर की स्वीकृति हेतु देय 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 (वित्तीय वर्ष 2021–22) तक की अवधि हेतु माफ की जावेगी।

4. योजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी :–

इस योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित विभागों द्वारा किया जायेगा :–

योजनान्तर्गत देय लाभ	संबंधित विभाग
पर्यटन उद्यमियों को 9% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान	उद्योग विभाग
होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य कर (SGST) का पुनर्भरण	वाणिज्यिक कर विभाग
होटल/क्लब बार अनुज्ञाधारियों द्वारा अतिरिक्त बार काउटंर की स्वीकृति हेतु देय 10% की अतिरिक्त राशि की माफी	आबकारी विभाग

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु आदेश/अधिसूचनाः–

संबंधित विभागों द्वारा योजना के क्रियान्वयन एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश/अधिसूचना जारी की जायेगी।

यह योजना मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक डी. 131/मं.मं./2021 दिनांक 28.09.2021 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

प.12(37)/वित्त/कर/2021–52

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग—1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग।
5. निदेशक, पर्यटन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प.12(37)/वित्त/कर/2021—52